प्रेस विज्ञप्ति
10/6/2026

ईडी ने 1,400 करोड़ रुपये के एसकेएनएल बैंक धोखाधड़ी मामले में रायगढ़ (महाराष्ट्र) के मुरुड में अलीबाग के पास अरब सागर के सामने स्थित 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रायगढ़ जिले के मुरुड स्थित अलीबाग के निकट अरब सागर के तटवर्ती एक संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक है।

जांच में यह उजागर हुआ कि मैसर्स एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (एसकेएनएल) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नितिन शंभुकुमार कासलीवाल ने उस अवधि के दौरान, जब एसकेएनएल ने बैंकों के एक संघ (कंसोर्टियम) से बड़ी मात्रा में ऋण सुविधाएँ प्राप्त की थीं, अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नियंत्रणाधीन परस्पर संबद्ध संस्थाओं और समूह कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग धन के डायवर्जन तथा लेयरिंग के माध्यम से उसकी वास्तविक प्रकृति और स्रोत को छिपाने के लिए किया। एसकेएनएल से डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल आखिरकार अलीबाग (मुरुड, रायगढ़) के पास अरब सागर के सामने वाली उस अचल संपत्ति को खरीदने के लिए किया गया, जो 1,400 करोड़ रुपये के एसकेएनएल बैंक धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच में सीधे तौर पर अपराध की कमाई (प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम) से हासिल की गई पाई गई।

ईडी की जांच से पता चला कि अलग-अलग बैंकों से एसकेएनएल को दिए गए लोन का पैसा कथित तौर पर नितिन कासलीवाल के कंट्रोल वाली जुड़ी हुई कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए दूसरी जगहों पर भेजा गया; इस पैसे का एक हिस्सा आखिर में अलीबाग के पास समुद्र के किनारे एक आलीशान प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत 23.12.2025 को तलाशी ली थी और ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनी स्ट्रक्चर के ज़रिए रखी गई विदेशी संपत्तियों से जुड़े सबूतों का पता लगाया था। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ईडी, इंदौर ने लंदन, यूनाइटेड किंगडम में बकिंघम पैलेस के पास स्थित एक महंगी प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसकी कीमत लगभग **119.55 करोड़ रुपये** है।

बैंकों के समूह के साथ की गई धोखाधड़ी से हासिल हुई अपराध की और कमाई का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।